सोनभद्र पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 22.11.2026

- **नशे के सौदागरों के विरुद्ध सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई।**
- **थाना चोपन पुलिस द्वारा हेरोइन की अवैध तस्करी से अर्जित धनराशि से अभियुक्त सुधीर उर्फ छोटे द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर निर्मित ₹87.04 लाख की अचल सम्पत्ति फ्रीज/कुर्क।**
- **NDPS Act की धारा 68F(2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई।**
- **NDPS Act की धारा 68E एवं 68F के तहत जनपद सोनभद्र में अब तक कुल 07 प्रकरणों में ₹6,43,29,978.59 (छह करोड़ अड़तीस लाख उनतीस हजार नौ सौ अठहत्तर रुपये एवं उनसठ पैसे) की सम्पत्ति जब्त/फ्रीज की जा चुकी है।**

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) **सुश्री मेविस टॉक** के दिशा-निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर **श्री रणधीर कुमार मिश्रा** के पर्यवेक्षण में थाना चोपन पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई की गई।

थाना चोपन पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 0319/2026, धारा 8/21/27ए/29/60 एनडीपीएस एक्ट** से संबंधित अभियुक्त सुधीर उर्फ छोटे व उसकी पत्नी सुनीता देवी उर्फ बुचिया पत्नी सुधीर उर्फ छोटे, निवासी डाला चढ़ाई, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र द्वारा हेरोइन की अवैध तस्करी के माध्यम से अर्जित धनराशि से पत्नी के नाम निर्मित मकान संख्या 40026, डाला चढ़ाई, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र, जिसकी कीमत **₹87,04,283.59/-** (बयासी लाख चार हजार दो सौ तिरासी रुपये एवं उनसठ पैसे) है, को एनडीपीएस अधिनियम की **धारा 68F(2)** के अंतर्गत फ्रीज/कुर्क किया गया।

उक्त कार्रवाई निरीक्षण अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी एवं एनडीपीएस अधिनियम, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश संख्या NDPSA/FO/1409/DEL/2026 दिनांक 11.11.2026 के अनुपालन में आज दिनांक 22.11.2026 को की गई। कार्रवाई के दौरान उपजिलाधिकारी ओबरा श्री रवि कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रणधीर मिश्रा की उपस्थिति में पर्याप्त पुलिस बल के साथ संबंधित अचल सम्पत्ति को फ्रीज/कुर्क करने की कार्रवाई की गई।

मु0अ0सं0 0319/2026 में अब तक कुल 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त सुधीर उर्फ छोटे भी उक्त अभियोग में जेल में निरुद्ध है।

अभियुक्ता सुनीता देवी का आपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0सं0 127/2018, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।
2. मु0अ0सं0 0319/2026, धारा 8/21/27ए/29/60 एनडीपीएस एक्ट, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।
3. मु0अ0सं0 0387/2026, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।

अभियुक्ता सुनिता देवी के पति सुधीर कुमार उर्फ छोटू का आपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0सं0 141/2014, धारा 147, 323, 504, 506 भादवि, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।
2. मु0अ0सं0 076/2017, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, थाना पिपरी, जनपद सोनभद्र।
3. मु0अ0सं0 237/2017, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।
4. मु0अ0सं0 075/2018, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।
5. मु0अ0सं0 208/2019, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।
6. मु0अ0सं0 319/2026, धारा 8/21/27(a)/29/60 एनडीपीएस एक्ट एवं धारा 111(2)(B), 111(4) बीएनएस, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।

जनपद सोनभद्र में NDPS Act की धारा 68E एवं 68F के अंतर्गत अब तक की गई कार्रवाई का विवरण—

जनपद सोनभद्र में अब तक कुल 07 प्रकरणों में ₹6,43,29,978.59/- (छह करोड़ अड़तीस लाख उनतीस हजार नौ सौ अठहत्तर रुपये एवं उनसठ पैसे) की सम्पत्ति जब्त/फ्रीज की जा चुकी है। जिसका थाना वार विवरण निम्नवत है—

जब्त/फ्रीज की गई सम्पत्ति का विवरण—

01.थाना रॉबर्ट्सगंज

कोडीनयुक्त कफ सिरप से संबंधित प्रकरण में ₹4,50,13,541/- की सम्पत्ति जब्त/फ्रीज की गई।

2. थाना अनपरा

हेरोइन से संबंधित प्रकरण में ₹26,62,165/- की सम्पत्ति जब्त/फ्रीज की गई।

3. थाना शक्तिनगर

एनडीपीएस एक्ट से संबंधित प्रकरण में ₹15,72,140/- की सम्पत्ति जब्त/फ्रीज की गई।

4. थाना रॉबर्ट्सगंज

हेरोइन से संबंधित अन्य प्रकरण में ₹1,08,156/- की सम्पत्ति जब्त/फ्रीज की गई।

5. थाना म्योरपुर

एनडीपीएस एक्ट से संबंधित प्रकरण में ₹38,83,693.52/- की सम्पत्ति जब्त/फ्रीज की गई।

6. थाना शक्तिनगर

एनडीपीएस एक्ट से संबंधित प्रकरण में ₹23,86,000/- की सम्पत्ति जब्त/फ्रीज की गई।

7. थाना चोपन

हेरोइन की अवैध तस्करी से अभियुक्त सुधीर उर्फ छोटे द्वारा अर्जित धनराशि से अपनी पत्नी के नाम पर निर्मित मकान, जिसकी कीमत ₹87,04,283.59/- है, को फ्रीज/कुर्क किया गया।